रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 1987/अग्रहायण 5, 1909
No. 235] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 1987/AGRAHYANA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वार्षिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1987

संकल्प

फाईल सं. एफ. 10(21)/87-आर. आर. बी. :—प्रत श्री राकेश कुमार गौतम और अन्यों तथा श्री जी. एस० कौशिक तथा अन्यों द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में क्रमशः अन्यों के साथ-साथ भारत संघ और जयपुर नागौड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान)

तथा भारत संघ और गुड़गांव ग्रामीण बैंक/गुड़गांव हरियाणा के खिलाफ दायर की गयी दो रिट याचिकाओं अर्थात् (सिविल) संख्या 1982 की 7149-50 और 1984 की 132 में अन्य बातों के साथ-साथ संदाय, वेतन, अन्य भत्ते और अन्य लाभों के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के साथ समानता की मांग की गयी है,

यतः केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया था कि दोनों याचिकाएं भ्रामक हैं और खारिज कर दिया जाना चाहिये और

यतः दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने 1 सितम्बर, 1987 को निम्नलिखित आदेश पारित किया :

"हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय संदाय, वेतन और अन्य भत्तों तथा अन्य लाभों के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण नियुक्त करना स्वीकार कर लिया है। याचकों के विद्वान काउन्सेल ने भी प्रस्तावित अधिकरण को संदर्भ करना मान लिया है। उपर्युक्त को देखते हुए, हमारे समक्ष इन रिट याचिकाओं में उठाए गए कानूनी प्रश्नों पर फैसला देना जरुरी नहीं है। हम सभी तर्क-वितर्कों को मुक्त रहने देते हैं। केन्द्रीय सरकार आज से 4 सप्ताह के अन्दर-अन्दर, इस विवाद को अधिकरण, अच्छा हो कि किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश को सौंप देगी। हम आशा करते हैं कि अधिकरण अपना निर्णय यथासंभव घोषित कर देगा। यह रिट याचिकाएं तदनुसार निपटाई जाती है।"

2. अतः अब, उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण नियुक्त करती है जिसके अध्यक्ष आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एस. ओबुल रेड्डी होंगे।

3. अधिकरण को निम्नलिखित विवाद निर्णय के लिए सौंपा जाता है :

भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं—(सिविल) संख्या 1982 की 7149-50 और 1984 की 132 में पक्षों के अभिवचनों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय संदाय, वेतन, अन्य भत्तों और अन्य लाभों से संबद्ध विवाद।

4. अधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में होगा।

5. अधिकरण को जांच का स्थान और समय निर्धारित करने सहित अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार होगा। अधिकरण किसी विशेष प्रयोजन के लिए, आवश्यकता-

नुसार सलाहकार, संस्थान और परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है। अधिकरण आवश्यकतानुसार कोई सूचना मांग सकता है और साक्ष्य ले सकता है।

6. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसी सूचना, दस्तावेज और अन्य सहायता प्रदान करेंगे जिसकी अधिकरण को जरूरत हो। आशा की जाती है कि सेवाओं के संघ/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबद्ध कामगार संघ और संबद्ध राज्य सरकारें अधिकरण को अपना पूरा-पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगी।

7. अधिकरण कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने के अन्दर-अन्दर अपना निर्णय देगा। लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार उचित समझे तो यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

8. अधिकरण के निर्णय अंतिम और बाध्यकर होंगे।

— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

— यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भारत के उच्चतम न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और उपर्युक्त दो रिट याचिकाओं के याचकों को भेज दी जाये।

अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 26th November, 1987

RESOLUTION

No. F. 10(21)|87-RRB.—Whereas the two writ petitions (Civil) Nos. 7149-50 of 1982 and 132 of 1984 were filed in the Supreme Court of India by Shri Rakesh Kumar Gautam and others and Shri G. S. Kaushik and others against, among others, Union of India and Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank, Jaipur, Rajasthan and Union of India and Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon, Haryana respectively seeking inter alia, parity with employees of the nationalised banks in respect of pay, salary, other allowances and other benefits :

Whereas the Central Government had contended before the Supreme Court that both the petitions were mis-conceived and should be dismissed; and

Whereas, after hearing both the sides, the Supreme Court passed on 1st September, 1987 the following order :

> "We are happy to know that the Central Government had agreed to appoint a National Industrial Tribunal to decide the question relating to pay, salary, other allowances and other benefits payable to the employees of the Regional Rural Banks constituted under the Regional Rural Banks Act, 1976. The learned counsel for the petitioners also agree that a reference may be made to the proposed

Tribunal. In view of the above it is not necessary to pronounce upon the questions of law raised in these writ petitions before us. We leave all the contentions open. The Central Government shall refer the dispute to the Tribunal, preferably to a retired Chief Justice of a High Court, within four weeks from today. We hope that the Tribunal will pronounce its award as expeditiously as possible. These writ petitions are disposed of accordingly."

2. Now, therefore, in terms of the said Order of the Supreme Court, the Central Government hereby appoint a National Industrial Tribunal consisting of Shri Justice S. Obul Reddy, retired Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh as its Chairman.

3. The following dispute is referred to the Tribunal for its decision :

Dispute relating to pay, salary, other allowances and other benefits payable to the employees of the Regional Rural Banks in terms of the pleadings of the parties in the Writ Petitions (Civil) No. 7149-50 of 1982 and No. 132 of 1984 filed in the Supreme Court of India.

4. The headquarters of the Tribunal shall be at Hyderabad, Andhra Pradesh.

5. The Tribunal shall have the power to regulate its own procedures including fixing of place and times of enquiry. The Tribunal may appoint such advisers, institutions and consultants as it may consider necessary for any particular purpose. The Tribunal may call for such information and take evidence as it may consider necessary.

6. The Ministries|Departments of Government of India, the Regional Rural Banks and public sector banks will furnish such information, documents and other assistance as may be required by the Tribunal. It is expected that the Service Associations|Workers Unions concerned with the Regional Rural Banks and the respective State Governments will extend to the Tribunal their fullest cooperation and assistance.

7. The Tribunal will make its award within a period of six months from the date of assumption of its office. This period may, however, be extended by the Central Government, if considered appropriate.

8. The decisions of the Tribunal shall be final and binding.

— ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

— ORDERED also that the copy of the Resolution be communicated to the Ministries|Departments of the Central Government, all State Governments|Union Territories, all public sector banks, Regional Rural Banks, Supreme Court of India, all High Courts and the petitioners in the aforesaid two writ petitions.

A. K. AGARWAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987